मुकदमों का विवरण

पंजाब एंड सिंड बैंक बनाम.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर. (2023 की सिविल अपील संख्या 6751) 07 दिसंबर, 2023

[अनिरुद्ध बोस**,** सुधांशु धूलिया और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयः क्या उच्च न्यायालय ने पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत देय राशि के संबंध में राज्य के प्राथमिकता के दावे को बनाए रखने में न्यायसंगत ठहराया है।2 (चूककर्ता उधारकर्ता), अपनी अचल संपत्ति पर लगाए गए शुल्क के आधार पर बैंक के दावे का स्थान लेना।

पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम**, 2005 -35.** वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम**, 2002 -**एस**. 35-**प्रभाव**-**चूककर्ता उधारकर्ता की परिसंपत्तियों पर प्रधानता का दावा**-**बैंक एस**.** पर निर्भर था।**35, 2002** अधिनियम **-**तथापि**,** धारा **35,2005** अधिनियम राज्य के कर बकाया के लिए प्रथम शुल्क सृजित करता है**-**सुरक्षित लेनदारों के लिए प्राथमिकता**-**राज्य के लिए एक चूककर्ता उधारकर्ता के कर बकाया पर शुल्क**/**प्राथमिकता का सृजन**,** यदि **2005** के अधिनियम और **2002** के अधिनियम के बीच कोई असंगति थी।

आयोजित किया गयाः2002 के अधिनियम का प्रमुख प्रावधान किसी भी तरह से राज्य अधिनियम के तहत प्रथम शुल्क का सृजन करने वाले उक्त प्रावधान को ग्रहण नहीं करता है-जहां तक राज्य को ऋण चुकाने में चूक करने वाले उधारकर्ता के कर बकाया पर शुल्क या प्राथमिकता के सृजन का संबंध है, उस समय 2005 के अधिनियम और 2002 के अधिनियम के बीच कोई विसंगति नहीं थी - 2002 के अधिनियम की धारा 35 सुरक्षित लेनदारों के लिए प्राथमिकता पैदा करने के मुद्दे से संबंधित नहीं है, जो कि धाराओं का विशिष्ट अधिदेश है।35 2005 के अधिनियम का-बाद वाला प्रावधान विशिष्ट रूप से कर चूककर्ता की परिसंपत्तियों पर राज्य के दावे की श्रेष्ठता से संबंधित है-राज्य का दावा, जो मुकुट ऋण की प्रकृति में है, वैधानिक रूप से यू/एस के तहत श्रेष्ठ दावे के रूप में मान्यता प्राप्त है।35 2005 के अधिनियम का, और इसे प्राथमिकता दी गई है-इस प्रकार, क्राउन की प्राथमिकता का सामान्य कानून सिद्धांत

ऋण, जो सिद्धांत केवल असुरक्षित लेनदारों के खिलाफ लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं होगा-एक बार उपरोक्त प्रावधानों की जांच हो जाने के बाद, बिना एस के।262002 के अधिनियम का ई,2005 के अधिनियम की धारा 35 प्रबल होगी-अपील के तहत निर्णय में कोई त्रुटि नहीं-एफ़ी रेमड-क्राउन ऋण की प्राथमिकता का सिद्धांत।[पैरा 6,9]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम**, 2002 -s.26E-2002** अधिनियम में एस की शुरूआत पर **24.01.2020** से संशोधन किया गया।**26** ई**-**एस का संचालन।**26** ईः

आयोजित किया गयाःएस का संचालन।262002 के अधिनियम का ई संभावित होगा-वर्तमान मामले में, जैसा कि राज्य की कार्रवाई वर्ष 2014 में शुरू हुई थी, एस का प्रावधान।262002 के अधिनियम का ई इस मामले में लागू नहीं होगा-उक्त प्रावधान, संभावित प्रभाव वाले बैंक की सहायता के लिए नहीं आ सकता है-पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005।[पैरा 5]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य और अन्य, [2009] 3 एससीआर 735:

(2009) 4 एस. सी. सी. 94-पर निर्भर।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ और अन्य, 2022 आई. एन. एस. सी. 230 -

प्रतिष्ठित।

भारत संघ और अन्य बनामएस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड और ए. एन. आर., [2008] 17 एस. सी. आर. 120:

(2009) 2 एस. सी. सी. 121-लागू नहीं होता।

जलगाँव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्न बनामबिक्री कर के संयुक्त आयुक्त नोडल 9, मुंबई और ए. एन. आर. 2022 (5) महाराष्ट्र लॉ जर्नल

691 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 6751।2014 के सी. डब्ल्यू. पी. No.21583 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सुश्री सीमा गुप्ता, सुश्री टीना गर्ग, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

पंजाब एंड सिंड बैंक बनाम पंजाब एंड ए. एन. आर. राज्य।

शादान फरासत, ए. ए. जी., सुश्री नताशा माहेश्वरी, करण भरीहोक, ऋषभ शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

पंजाब एंड सिंध बैंक हमारे समक्ष पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है जिसमें एक निगमित संस्था, मेसर्स सुमित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसके बाद "2005 अधिनियम" कहा जाता है) के तहत बकाया के संबंध में राज्य के प्राथमिकता के दावे को बरकरार रखते हुए उस संस्था की अचल संपत्ति (इस अपील में प्रतिवादी संख्या 2 होने के नाते) पर लगाए गए आरोप के आधार पर बैंक के दावे को हटा दिया गया है।हालाँकि, जब अपील सुनवाई के लिए ली जाती है, तो कथित प्रतिवादी हमारे सामने बिना प्रतिनिधित्व के जाता है।वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद "2002 अधिनियम" कहा जाता है) की धारा 13 (2) के तहत कार्यवाही 06.09.2013 पर प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में शुरू की गई थी।2 उधार ली गई राशि के पुनर्भुगतान में चूक की थी, जो सैद्धांतिक रूप से ब्याज के अलावा लगभग 2.6 करोड़ रुपये थी।दूसरी ओर, 2005 के अधिनियम के तहत राज्य पर बकाया राशि 4.5 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक थी।

2. राज्य ने संपत्ति पर प्रथम प्रभार का दावा किया।दिनांक 23.05.2014 के एक संचार द्वारा, सहायक कलेक्टर-सह उत्पाद शुल्क और कराधान कार्यालय ने बैंक को प्रतिवादी नं.2 भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत उपरोक्त कर बकाया की वसूली के लिए।बैंक को चूककर्ता प्रत्यर्थी की संपत्ति की कुर्की से भी अवगत कराया गया था।2005 के अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान को भी उक्त प्रतिवादी के संज्ञान में लाया गया था।यह एक पत्र है जो उच्च न्यायालय के समक्ष बैंक द्वारा लाई गई रिट याचिका का विषय था।2005 के अधिनियम की धारा 35, जो निर्धारित करती हैः-

“35. तत्काल लागू किसी अनुबंध या कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी कर योग्य, पंजीकृत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कर, जुर्माना, ब्याज और किसी अन्य राशि की कोई भी राशि, उस तारीख से ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर पहला शुल्क होगी जिस दिन राशि देय और देय हो जाती है।”

3. दूसरी ओर बैंक ने चूककर्ता उधारकर्ता की परिसंपत्तियों पर प्रधानता के अपने दावे के समर्थन में 2002 के अधिनियम की धारा 35 पर भरोसा किया।यह प्रावधान इस प्रकार हैः-

“इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों को ओवरराइड करते हैं।-इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।

4. 2002 के अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 06.09.2013 पर नोटिस जारी किया गया था। 2002 के अधिनियम को बाद में धारा 26 ई के लागू होने पर 24.01.2020 से संशोधित किया गया था। यह प्रावधान इस प्रकार हैः- “26 ई. सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता।- तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रतिभूति ब्याज के पंजीकरण के बाद, किसी भी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋणों का भुगतान अन्य सभी ऋणों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी राजस्वों, करों, उपकरों और अन्य दरों पर प्राथमिकता से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के प्रारंभ होने पर या उसके बाद, ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही लंबित है, ऋण के भुगतान में सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता उस संहिता के प्रावधानों के अधीन होगी।”

बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पूर्ण पीठ का फैसला है

जलगाँव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम.बिक्री कर नोडल 9, मुंबई और एएनआर के संयुक्त आयुक्त ने सूचना दी

2022 (5) महाराष्ट्र लॉ जर्नल 691, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 2002 अधिनियम की धारा 26 ई का प्रवर्तन संभावित होगा।5. चूंकि राज्य की कार्रवाई वर्ष 2014 में शुरू हुई थी, इसलिए 2002 के अधिनियम की धारा 26 ई का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होगा।उक्त प्रावधान, जिसका संभावित प्रभाव है, बैंक की सहायता के लिए नहीं आ सकता है।इस प्रकार, हमें उक्त दो कानूनों, अर्थात 2002 अधिनियम और 2005 अधिनियम की धारा 35 के निहितार्थ की जांच करनी होगी।

907

पंजाब एंड सिंड बैंक बनाम पंजाब एंड ए. एन. आर. राज्य।

6. हमारी राय में, 2002 के अधिनियम का सर्वोपरि प्रावधान किसी भी तरह से राज्य अधिनियम के तहत प्रथम आरोप बनाने वाले उक्त प्रावधान को ग्रहण नहीं करता है। समय के भौतिक बिंदु पर, 2005 के अधिनियम और 2002 के अधिनियम के बीच कोई विसंगति नहीं थी, जहां तक राज्य को चूक करने वाले उधारकर्ता के कर बकाया पर शुल्क या प्राथमिकता के निर्माण का संबंध है।2002 के अधिनियम की धारा 35 सुरक्षित लेनदारों के लिए प्राथमिकता पैदा करने के मुद्दे से संबंधित नहीं है, जो 2005 के अधिनियम की धारा 35 का विशिष्ट अधिदेश है। बाद वाला प्रावधान विशेष रूप से कर चूककर्ता की संपत्ति पर राज्य के दावे की श्रेष्ठता से संबंधित है।राज्य का दावा, जो मुकुट ऋण

की प्रकृति का है, 2005 के अधिनियम की धारा 35 के तहत वैधानिक रूप से बेहतर दावे के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे प्राथमिकता दी गई है।इस प्रकार, क्राउन ऋण की प्राथमिकता का सामान्य कानून सिद्धांत, जो सिद्धांत केवल असुरक्षित लेनदारों के खिलाफ लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं होगा।एक बार जब हम उपरोक्त प्रावधानों की जांच कर लेते हैं, तो 2002 के अधिनियम की धारा 26 ई के बिना, 2005 के अधिनियम की धारा 35 प्रबल होगी।

7. 2009 (4) एस. सी. सी. 94 में रिपोर्ट किए गए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के पहले के फैसले से इस दृष्टिकोण को लेने में हमारा समर्थन है।उक्त मामले में, यह न्यायालय बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 38-सी और केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 26-बी में निहित समान प्रावधानों की जांच कर रहा था।रिपोर्ट के पैराग्राफ 116 में, इस बिंदु पर कानून की स्थिति को समझाया गया हैः-

“116. डी. आर. टी. अधिनियम की धारा 34 (1) और प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 35 में निहित अबाधित खंड उन अधिनियमों के प्रावधानों को केवल तभी प्रभावी बनाते हैं जब किसी अन्य कानून या साधन में कुछ असंगत निहित हो जो किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी हो। दूसरे शब्दों में, यदि अन्य अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो डी. आर. टी. अधिनियम या प्रतिभूतिकरण अधिनियम के साथ असंगत हैं, तो उन अधिनियमों में निहित प्रावधान अन्य विधानों पर हावी नहीं हो सकते हैं।बॉम्बे अधिनियम की धारा 38-सी और केरल अधिनियम की धारा 26-बी में भी गैर-बाध्यकारी खंड हैं और अन्य ऋणों पर राज्य के प्रभार की प्राथमिकता को वैधानिक मान्यता देते हैं, जिसे 1950 से पहले ही भारतीय उच्च न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई थी।दूसरे शब्दों में, ये धाराएँ और अन्य राज्य विधानों में निहित इसी तरह के प्रावधान न केवल विक्रेता या बिक्री कर आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम शुल्क लगाते हैं, बल्कि उन्हें अन्य कानूनों पर हावी प्रभाव भी देते हैं।

8. बैंक की ओर से, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें हम में से एक (जे. अनिरुद्ध बोस) सदस्य थे।

उस फैसले में पंजाब नेशनल बैंक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है।

भारत और ओआरएस। (2022 आई. एन. एस. सी. 230) 2005 के अधिनियम की धारा 35 के समान प्रावधान का निहितार्थ मुद्दे में नहीं था।यह एक ऐसा मामला था जहां बैंक का दावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 की धारा 173 क्यू (2) के प्रावधानों के तहत निर्धारिती की संपत्तियों के निर्धारण के आधार पर भारत संघ के दावे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था।वास्तव में, यह मामला अलग है।भारत संघ और अन्य बनाम अन्य के मामले में एक समन्वय पीठ का एक और निर्णय।एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड और ए. एन. आर., [(2009) 2 एस. सी. सी. 121] को बैंक की ओर से

उद्धृत किया गया था, जिसमें मुकुट ऋण की प्राथमिकता के सिद्धांत का तर्क दिया गया था।इस प्राधिकरण ने 2005 के अधिनियम की धारा 35 में निर्धारित राज्य के कर बकाया के लिए प्रथम शुल्क बनाने के लिए एक विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के साथ भी काम नहीं किया। इस प्रकार, इस प्राधिकरण का अनुपात इस मामले के तथ्यों में भी लागू नहीं होता है।9. हम, तदनुसार, अपील के तहत निर्णय में कोई त्रुटि नहीं करते हैं और इसलिए उक्त निर्णय को लागू करते हैं।

10. अपील उपरोक्त शर्तों में खारिज हो जाएगी।**11.** लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।**12.** लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे